


शिक्षा निदेशालय (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश।

(पैंशन एवं भवन शाखा)

पृष्ठांकन संख्या: शिक्षा.एच(13)बी(10)61 / 2009 दिनांक शिमला-1
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
01.10. सितम्बर, 2014

1. प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार को उनके पत्र संख्या: शिक्षा ई0 डी0 एन-बी-ग (17)11 / 2014 दिनांक 20.09.2014 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. समूह समादेशक, एन0सी0सी0 समूह मुख्यालय, शिमला-4 को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को इस पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करवायें।
3. शाखा अधिकारी (कॉलेज शाखा / 10+2 शाखा/स्थापना शाखा-1 / शारीरिक शाखा), शिक्षा निदेशालय (उच्चतर), हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित कि कर्मचारियों व अधिकारियों के पेंशन मामले सेवानिवृत्त से 6 महिने पहले महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश कार्यालय को भेजें।
4. प्राचार्य समस्त महाविद्यालय / संस्कृत महाविद्यालय, हिमाचल प्रदेश।
5. प्राचार्य शिक्षक महाविद्यालय, धर्मशाला / एस0सी0ई0आर0टी, सोलन।
6. समस्त उपशिक्षा निदेशक (उच्चतर), हिमाचल प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कर्मचारियों व अधिकारियों के पेंशन मामले सेवानिवृत्त से 6 महिने पहले महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश कार्यालय को भेजें तथा अपने अधीनस्थ सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को इस पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करवायें।
7. समस्त जिला पुस्तकालय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, शिक्षा निदेशालय (उच्चतर), हिमाचल प्रदेश।
9. कार्यालय नस्ति / रक्षक नस्ति।


शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश

संख्या: फिन(पैन)बी(10)-3/2006-खण्ड-1
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (पैशन) विभाग ।

प्रेषक

प्रधान सचिव (विद्वा),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

15/9

Asedu

प्रेषित

1. समरत प्रशासनिक सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश ।
3. मण्डलायुक्त, शिमला, माडी व कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश ।

16/9/14

~~सोलहवाहा~~

दिनांक: शिमला-171002, 10 दिसम्बर, 2014 ।

S.P.S

विषय:-

पैशन मामलों को जिपटने में लिम्ब

महेदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान इस विभाग के समसंख्यक पञ्च दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 की ओर आवर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पैशन) नियम, 1972 के नियम 56 के अन्तर्गत सभी विभागाध्यक्षों को अगले 24 से 30 महीनों के दौरान सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की सूचियाँ महालेखाकार (ले 0 व ३०) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को भेजना अनि नार्य है परन्तु महालेखाकार कार्यालय द्वारा वित्त विभाग के ध्यान में लाया जाया है कि विभिन्न विभागों द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत वांछित सूचियाँ जहाँ होजी जा रही हैं।


इसी तरह केन्द्रीय सिविल सेवा (पैशन) नियम, 1972 के नियम 6.1(4) के अन्तर्गत प्रावधान है कि सभी जेवा निवृत होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पैशन मामले उनकी सेवा निवृत के 6 महीने पहले महालेखाकार (ले 0 व ३०) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को प्रेषित किए जायें ताकि सेवा निवृत हो रहे कर्मचारियों के पैशन मामलों को उनकी सेवा निवृति से पहले विपट कर समय पर पैशन लाभ दिया जा सके। परन्तु महालेखाकार (ले 0 व ३०) हिमाचल प्रदेश ने इस विभाग के ध्यान में लाया है कि विभिन्न विभागों के विभाग अध्यक्षों/ कार्यालय अध्यक्षों एवं आठरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पैशन) नियम, 1972 के प्रावधानों विशेष कर नियम 56 व नियम 6.1 की अनुपालन नहीं की जा सकी है जिसके कारण पैशनभोगियों को लम्बे समय तक उनके पैशन लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है।

अतः आप से अवुरोध है कि आप अपने विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालय अध्यक्षों तथा आठरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश जारी करें

कि वे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 56 से 61 की सख्ती से अनुपालना करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों/ अधिकारियों के पेंशन मामले केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 61(4) के अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति से 6 महीने पहले महालेखाकार (ले ० व ह०) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को भेजें जायें। सभी विभागाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि नियम 56 में वांछित सूचना भी निश्चित समयावधि के भीतर महालेखाकार (ले ० व ह०) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को समय-समय पर भेजा करें।

इसके अतिरिक्त अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सख्त हिदायतें जारी करें कि वह सेवा निवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की जन्म तिथि, ऐम्पड कोड, डी.डी.ओ. कोड, फार्म-३ में पारिवारिक पेंशन के लिए जन्म तिथि और सेवा निवृत्ति की सही तिथियाँ तथा मृत कर्मचारियों और खेच्छा से निवृत्त कर्मचारियों की जन्मतिथि भी विवरणियों में दर्शाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


(डा० अमनदीप गर्ज)
विशेष सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
दूरभाष: ०१७७-२६२१६९८

पृष्ठांकनसंख्या:फिन(पैन)बी(10)-3/2006-खण्ड-1 दिनांक:शिमला-2, /09/2014.
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. महालेखाकार (ले ० व ह०) हिमाचल प्रदेश, शिमला-३ को उनके पत्र संख्या:पेंशन-१/पै.वि.क./जोशी/रिपोर्ट/2014-15/२७६७-६८ दिनांक 13.08.2014 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. समरत उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. प्रधान आवारीय आयुक्त, हिमाचल भवन, २७-सिंकन्द्रा रोड, नई दिल्ली।
4. मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश विभाग/ सिंचाई एवं जनरस्वारथ्य विभाग।
5. पंजीयक, हिमाचल प्रदेश व्यायालय, शिमला-१।
6. समरत जिला सत्र एवं न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश।
7. समरत नियन्त्रक/संयुक्त नियन्त्रक/ उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक/अनुभाग अधिकारी(वित्त एवं लैखा) हिमाचल प्रदेश।
8. समरत जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
9. समरत अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय।


(डा० अमनदीप गर्ज)
विशेष सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
दूरभाष: ०१७७-२६२१६९८